

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1076]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 21, 2015/वैशाख 31, 1937

No. 1076]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 21, 2015 /VAISAKHA 31, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2015

का.आ. 1364(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के उप-खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2582(अ) तारीख 01.10.2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 01.10.2014 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है,

उक्त अधिसूचना की प्रस्तावना में

- (क) जिला “एस.पी.एस. नेल्लोर” और पुलिस थाना “संगम” से संबंधित क्रम संख्या 01 के सामने स्तम्भ 7 में प्रविष्टि “(12) जेन्दादीब्बा” के पश्चात् प्रविष्टि “(13) गांधी जनसंगम”, “(14) सिद्दीपुरम” एवं “(15) वेंगारेड्डी पालेम” अन्तःस्थापित किया जाएगा।
- (ख) जिला “एस.पी.एस. नेल्लोर” और पुलिस थाना “बुच्ची” से संबंधित क्रम संख्या 02 के सामने स्तम्भ 7 में प्रविष्टि “(5) दामरामादुगु” के पश्चात् प्रविष्टि “(6) वाव्वेरु” अन्तःस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. आरडब्ल्यू/एनएच-37014/16/2014/एनएचडीपी-IVA]

माया प्रकाश, निदेशक

पाद टिप्पणी.—मूल अधिसूचना का.आ. 2582(अ), तारीख 01.10.2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 01.10.2014 में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st May 2015

S.O. 1364(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2582(E) dated 1st October, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 1st October, 2014.

In the Schedule to the said Notification

- (a) against Serial No. 01 relating to district “S.P.S. Nellore” and Police Station “Sangam” in the 7th column after entry “(12) Janda Dibba” the following entry “(13) Gandhi Janasangam (14) Siddipuram (15) Vengareddy Palem” shall be inserted.
- (b) against Serial No. 02 relating to district “S.P.S. Nellore” and Police Station “Buchi” in the 7th column after entry “(5) Dhamaramadugu” the following entry “(6) Vavveru,” shall be inserted.

[F. No. RW/NH-37014/16/2014/NHDP-IVA]

MAYA PRAKASH, Director

Foot Note:- The principal notification were published vide S.O. 2852(E) dated 01st October, 2014, published in the Gazette of India, extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 01st October, 2014